हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)2/2019 70459–62 शिमला–171009 दिनांक 19 Nov 2020

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना जिसे दिनांक 07.11.2020 को अधिसूचित किया गया है के अन्तर्गत, जिला कुल्लू के विकास खण्ड निरमण्ड की ग्राम सभा निरमण्ड के ग्रामों को शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0–ए0(1)–2/2014 दिनांक 28.10.2020 द्वारा नगर पंचायत निरमण्ड में सम्मिलित करने के दृष्टिगत, सम्बन्धित ग्राम सभा के निम्न सूची अनुसार शेष बचे ग्रामों के लिए ग्राम सभा का नाम बदलकर शिशवी (मुख्यवास शिशवी) करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कुल्लू को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

कम सं0	ग्राम सभा का नाम व मुख्यवास	ग्रामो के नाम
1.	शिशवी	अवेरा
2.		शिशवी
3.		पलेरा
4.		खुबू
5.		जदानीपीपल
6.		डोगर
7.		सतांगीधार
8.		ओडीधार
9.		कतिउर

क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम सभा निरमण्ड का नाम बदलकर शिशवी करने के संदर्भ में प्राप्त आक्षेपों/ सुझावों पर विचार किया गया और विनिश्चय किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला कुल्लू के विकास खण्ड निरमण्ड की ग्राम सभा निरमण्ड का नाम बदलकर शिशवी (मुख्यवास शिशवी) करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं तथा यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः उपरोक्त– 70459–62 शिमला–171009 दिनांक 19 Nov 2020

प्रतिलिपि :–

1. उपायुक्त, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
2. जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।
4. प्रधान / सचिव / पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत निरमण्ड, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

अतिरिक्त निदेशक
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश।